

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3308 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 02 महिलाओं को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 3308 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत करीखास से इवेंट सं0 36573 द्वारा महिला कालर ने मो0नं0 9161048763 से दो मोटरसाइकिल का आपस में टक्कर होने के कारण दुर्घटना में 02 महिलाओं (01. सलोनी पुत्री राजू 02. शालू पुत्री राजू निवासी ग्राम करीखास थाना महुली जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने सम्बन्ध में सूचना दिया सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल महिलाओं को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु जिला चिकित्सालय भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल महिलाओं को ईलाज हेतु जिला चिकित्सालय भेजवाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

***पीआरवी स्टाफ-* आ0 विकेश गोंड, हो0चा0 राजकिशोर ।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 107 वाहनों से 1,29,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 10.12.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 107 वाहनों से 1,29,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना महुली पुलिस द्वारा*** मु0अ0स0 418/2024 धारा 137(2),87,65(1),351(3) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के मामले में वाँछित अभियुक्त नाम पता किशन गुप्ता पुत्र संजय गुप्ता निवासी जसुईदेवघटा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को महुली बाजार के तिराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 18.11.2024 को थाना महुली पर वादिनी की नाबालिग पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 11.11.2024 को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना महुली पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी की गयी तथा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 10.12.2024 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री सत्येन्द्र यादव, का0 विजय गौतम ।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री केशव नाथ*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा*** मु0अ0स0 352/2024 धारा 137(2),87,65(1) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के मामले में वाँछित अभियुक्त नाम पता अंकित पाण्डेय पुत्र महन्थ पाण्डेय निवासी चौटरवा पारसनगर वार्ड न03 टोला अहिरानी थाना चौतरवा पश्चिम चम्पारन राज्य बिहार को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 26.11.2024 को थाना मेंहदावल पर वादी की नाबालिग पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 08.11.2024 को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी की गयी तथा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 10.12.2024 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार सिंह, म0का0 अनामिका सिंह ।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार , अपहृता बरामद

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री केशव नाथ*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा*** मु0अ0स0 370/2024 धारा 87,65(1) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के मामले में वाँछित अक्षय लाल पुत्र रामभवन निवासी मानपुर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 07.12.2024 को थाना मेंहदावल पर वादिनी की नाबालिग पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 09.12.2024 को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी की गयी तथा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 10.12.2024 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री विजय कुमार सिंह, का0 गोविन्द्र यादव, म0का0 अनामिका सिंह ।